2

राजस्थान सरकार

राजस्व विभाग (क)

विज्ञप्ति

जयपुर, दिनांक 22-7-75

संख्या २४६५५/F.१९(१३५)/राजी ४५ चूंकि निम्नलिखित अनुसूची में दिखलाई गई वन-भूमि तथा बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है अथवा उनमें सरकार के स्वत्व हैं अथवा सरकार उनकी सम्पूर्ण वन-उपज अथवा उसके किसी अंश की स्वत्वधारी (Entitled) है,

और चूंकि सरकार उपर्युक्त वन-भूमि तथा बंजर भूमि को, राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ की धारा २९, उप-धारा (१) के अन्तर्गत संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करने का विचार रखती है;

और चूंकि पूर्वोक्त भूमि में अथवा उस पर सरकारी अथवा वैयक्तिक अधिकारों की सीमा तथा स्वरूप अभी तक किसी भी प्रकार से लेखबद्ध नहीं किये गये हैं,

और चूंकि सरकार यह भी विचार रखती है कि पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर भूमि में अथवा उन पर सरकारी या वैयक्तिक अधिका की सीमा तथा स्वरूप के सम्बन्ध में जांच किया जाना तथा उन्हें लेखबद्ध किया जाना आवश्यक है, परन्तु चूंकि इन कार्यों के सम्पादन में जितना समय लगेगा उस बीच में सरकार के अधिकारों को क्षति पहुंचाने की आशंका है,

इसलिये अब राजस्थान फोरेस्ट एक्ट, १९५३ (१९५३ का एक्ट, संख्या १३) की धारा २९ की उप-धारा (३) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, सरकार इसके द्वारा फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर/असिस्टेन्ट फोरेस्ट सेटलमेन्ट ऑफिसर को पूर्वोक्त वन-भूमि अथवा बंजर-भूमि में या उन पर सरकारी तथा वैयक्तिक अधिकारों की जांच करके उन्हें लेखबद्ध करने हेतु नियुक्त करती है तथा ऐसी जांच तथा अभिलेखन, यथा साध्य, उसी प्रणाली में किया जायेगा जैसा कि उक्त एक्ट की धारा ६, ७, ८, १०, ११ (१) १२, १३, १४, १७, १८ तथा १९ में प्रावहित है,

और उक्त एक्ट की धारा २९ की उप-धारा (३) के परन्तुक (Proviso) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में, राजस्थान सरकार उक्त जांच तथा अभिलेखन सम्पादित होने तक उक्त वन-भूमि और बंजर-भूमि को इस विज्ञप्ति द्वारा संरक्षित वन (Protected Forest) घोषित करती है परन्तु इससे किसी व्यक्ति या वर्ग विशेष के वर्त्तमान अधिकारों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आयेगी और न उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा,

और सरकार, उक्त एक्ट की धारा ३० द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अग्रतर अनुसरण में यह भी घोषणा करती है कि उक्त संरक्षित वन के वे वृक्ष जो इसके साथ संलग्न द्वितीय अनुसूची में अंकित किये गये हैं, राज-पत्र में इस विज्ञप्ति के प्रकाशन की तारीख से आरक्षित (Reserved) हैं और पूर्वोक्त तारीख से उक्त वन में, पत्थरों का हटाया जाना अथवा चूना या कोयला जलाया जाना अथवा किसी प्रकार की वन उपज का संग्रहीत किया जाना अथवा उसे किसी निर्माण प्रक्रिया का साधन बनाया जाना या हटाया जाना और उक्त वन में किसी भूमि का कृषि अथवा भवन निर्माण अथवा पशु-पालन अथवा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिये खंडित किया जाना अथवा साफ किया जाना निषिद्ध करती है।

प्रथम अनुसूची (वन-भूमि और बंजर भूमि)

द्वितीय अनुसूची (संरक्षित वृक्ष)

[signature] 30.7.76

राज्यपाल की आज्ञा से,

sd- पी० एन० भंडारी

शासन सचिव।

उप वन संरक्षक अधिकारी
कोटा (राजस्थान)

प्रथम अनुसूची

सं० १	नाम ब्लॉक २	नाम तहसील ३	नाम जिला ४	सीमा ५	विवरण ६
	बनलिया	खानपुर	झालावाड़	उत्तर:- बरेड़ा, मेरुपुरा, दक्षिण:- सरहद रेन्ज असनावर। पूर्व:- उजाड़ नदी। पश्चिम:- कोमल खेड़ी	बनलिया काश्त द्वारा [illegible] क्र० २ सड़क झालावाड़ खानपुर।

नोट:— राजस्थान राज-पत्र दिनांक 28-4-75 के भाग ४ (ग) में पृष्ठ संख्या १३५ पर प्रकाशित हुआ। [illegible]

[illegible]

रा० मु० जo १-८५-१०-६४-१००० फा०

पु० प० उ०